

UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS

 **ONE STOP SOLUTION**

By **Faiyaz Sir**



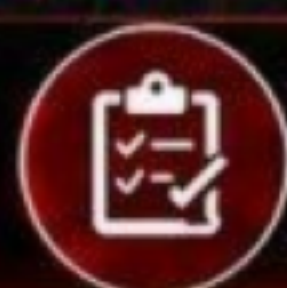
COMPLETE
COVERAGE



EXAM
FOCUSED



ANALYSIS
MADE EASY



STATIC + CURRENT
INTEGRATION



**STAY AHEAD
STAY PREPARED**



जब हौसले बुलंद हों,
तो पहाड़ भी मिट्टी का
ढेर लगाने लगता है।

— छत्रपति शिवाजी महाराज

आज क्या पढ़ेंगे?

1. भारत की अंतरिक्ष संप्रभुता को सुदृढ़ करना } PIB
2. महत्वपूर्ण तथ्य }



भारत की अंतरिक्ष संप्रभुता को सुदृढ़ करना

प्रविष्टि तिथि: 14 AUG 2026 16:18 PM

जनजागर और विकास को बढ़ावा

Science & Technology
+ space Technology
P E B

चर्चा में क्यों ?

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम बुनियादी क्षमताओं के विकास से शुरू होकर आज वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बन चुका है। पिछले एक दशक के नीतिगत सुधारों ने इस क्षेत्र में निजी उद्यमों, स्टार्टअप्स और वैश्विक साझेदारियों के नए अवसर खोले हैं।

अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, भारत की ये अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं इसे भविष्य के अंतरिक्ष परिदृश्य को आकार देने वाले एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में दर्शाती हैं।



भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के परिदृश्य से जुड़े प्रमुख आँकड़े व तथ्य

अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स की संख्या

वर्ष 2014 में मात्र 1 से बढ़कर अगस्त 2026 तक लगभग 440 हो गई है।

12, 439

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार

लगभग \$8 बिलियन डॉलर (वैश्विक बाजार का लगभग 2% से 3%)। जो वर्तमान में विश्व में 8वें स्थान पर है।

भविष्य का लक्ष्य

अगस्त 2026 तक 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्यांकन, जिसे अगले दशक तक 40-45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

निजी निवेश

2021-22 में दर्ज 100.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 618.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।

गैर-सरकारी संस्थाओं को प्राधिकरण

मध्य-2026 तक 52 गैर-सरकारी संस्थाओं को कुल 113 प्राधिकरण प्रदान किए जा चुके हैं।

विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण एवं रणनीतिक सुधार

विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण: वर्ष 2014 से पूर्व के कुल 35 उपग्रहों की तुलना में बढ़कर जनवरी 2026 तक 399 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समझौते: अनुसंधान, तकनीक, संयुक्त मिशनों और क्षमता निर्माण हेतु 61 देशों व 5 बहुपक्षीय संगठनों के साथ 300 से अधिक सहयोग समझौते हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं।

रणनीतिक एवं नीतिगत सुधार

सरकार ने पारंपरिक रूप से सरकारी नियंत्रण वाले इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए व्यापक ढांचागत सुधार किए हैं:

(क) संस्थागत ढांचा एवं उदारीकरण

- निजी क्षेत्र की प्रविष्टि (2020): अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला गया।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: इसने संपूर्ण अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला (Value Chain) में निजी क्षेत्र की भूमिका स्पष्ट की तथा IN-SPACE और NSIL के उत्तरदायित्व तय किए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं प्रमुख नियामक निकाय

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंड (फरवरी 2024):

- उपग्रह निर्माण व संचालन: 74% (स्वचालित मार्ग)
- प्रक्षेपण यान एवं स्पेसपोर्ट: 49% (स्वचालित मार्ग)
- उपग्रह व ग्राउंड-सेगमेंट घटक: 100% (स्वचालित मार्ग)

मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं (NGP) 2024: पारदर्शी प्राधिकरण प्रणाली स्थापित कर 'बिजनेस में सुगमता' को बढ़ावा दिया।

(ख) प्रमुख नियामक एवं वाणिज्यिक निकाय

IN-SPACe

(भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र): निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को मंजूरी देने वाला एकल-खिड़की (Single-window) तंत्र। इसने 71 प्रौद्योगिकियों को उद्योग/स्टार्ट-अप्स को हस्तांतरित किया।

NSIL

(न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड): इसरो की वाणिज्यिक शाखा। इसका राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 के ₹321.77 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹3,000 करोड़ से अधिक हो गया।

(ग) वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन योजनाएं

वित्तपोषण योजनाएं एवं प्रक्षेपण क्षमताएं

IN-SPACE सीड फंड योजना ✓

प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप्स को सहायता।

₹1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड ✓

विकास पूंजी उपलब्ध कराने हेतु।

₹500 करोड़ का प्रौद्योगिकी दत्तक कोष ✓

(Technology Adoption Fund): उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रसार हेतु।

SBAaS योजना

(सैटेलाइट बस एज ए सर्विस): ₹75 करोड़ के आवंटन के साथ सैटेलाइट बस निर्माण को समर्थन। ✓

EO-PPP

(पृथ्वी अवलोकन सार्वजनिक-निजी भागीदारी): भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नक्षत्र। इसमें ₹1,200 करोड़ की निजी निवेश प्रतिबद्धता है। ✓

बुनियादी ढांचा और प्रक्षेपण क्षमताएं ✓

भारत वर्तमान में चार प्रमुख स्वदेशी प्रक्षेपण यानों का संचालन कर रहा है: PSLV, GSLV, LVM3 (GSLV Mk III), और SSLV। ✓

प्रक्षेपण बुनियादी ढांचे का विस्तार एवं चंद्र अन्वेषण

प्रक्षेपण बुनियादी ढांचे का विस्तार

- श्रीहरिकोटा (सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र): 2 क्रियाशील लॉन्च पैड के साथ-साथ अत्याधुनिक लॉन्च वाहनों के लिए एक नया परिसर विकसित किया जा रहा है।
- कुलशेखरपट्टिनम (तमिलनाडु): भारत का दूसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, जो मुख्य रूप से SSLV और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के लिए समर्पित होगा।

प्रमुख अंतरिक्ष मिशन: उपलब्धियां और भविष्य का रोडमैप

(क) चंद्र अन्वेषण (Lunar Exploration)

चंद्रयान-1 (2008)
चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज।

1

चंद्रयान-2 (2019)

30 सेमी रिजॉल्यूशन वाली अब तक की सबसे उच्च-गुणवत्ता वाली ऑप्टिकल छवियां प्रदान कीं।

2

चंद्रयान-3 (2023)

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट-लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना।

3

भविष्य के मिशन: सौर, मंगल एवं गहरा अंतरिक्ष

भविष्य के चंद्र मिशन

- चंद्रयान-4 (लक्ष्य: 2027): चंद्र नमूनों को एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाने का प्रदर्शन।
- चंद्रयान-5 / LUPEX: इसरो और जाक्सा (JAXA-जापान) का संयुक्त मिशन, जो दक्षिणी ध्रुव पर जल-बर्फ (Lunar Water-Ice) का अध्ययन करेगा।

(ख) सौर, मंगल एवं गहरा अंतरिक्ष

मंगलयान (MOM - 2014)

प्रथम प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश; 8 वर्षों तक कार्य किया।

आदित्य-L1 (2023)

सूर्य-पृथ्वी L1 बिंदु पर स्थापित भारत की पहली सौर वेधशाला। 27 TB से अधिक डेटा सार्वजनिक रूप से जारी।

एक्सपोसैट (XPoSat - 2024)

एक्स-रे ध्रुवीकरण खगोल विज्ञान पर केंद्रित मिशन।

शुक्र ऑर्बिटर मिशन (मार्च 2028)

शुक्र के भूविज्ञान, वायुमंडल और आयनमंडल का अध्ययन करने के लिए नियोजित।

स्वायत्त संचालन और मानव अंतरिक्ष उड़ान

- **SpADEx (स्पेस डॉकिंग प्रयोग - जनवरी 2025):** स्वायत्त अंतरिक्ष डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बना। SpADEx-2 और SpADEx-3 पर भी अध्ययन जारी है।
- **एक्सओम-4 (Axiom-4 - जून-जुलाई 2025):** मुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, जिससे माइक्रोग्रैविटी और मानव उड़ान का अनुभव प्राप्त हुआ।

गगनयान कार्यक्रम (Gaganyaan)

- बजट: ₹20,193 करोड़। कुल 8 मिशन शामिल।
- लक्ष्य: 3 सदस्यीय दल को 400 किमी की कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजना।
- व्योममित्र (Vyommitra) हाफ-ह्यूमनॉइड के साथ मानव रहित प्रयोग: Q4 2026; क्रू मिशन: 2027 तक।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS)

- 5-मॉड्यूल वाला नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन।
- पहला मॉड्यूल (BAS-01) 2028 तक तथा पूर्ण संचालन 2035 तक लक्षित।

नाविक (NavIC) एवं भविष्य की अगली पीढ़ी की तकनीकें

नाविक (NavIC - स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली)

- भारत की मुख्य भूमि और उसकी सीमाओं से 1,500 किमी तक सटीक स्थिति और समय प्रदान करता है।
- द्वितीय पीढ़ी के उपग्रह: NVS-01 (मई 2023) और NVS-02 (जनवरी 2025) प्रक्षेपित; NVS-03, 04, 05 उन्नत चरणों में।
- अनुप्रयोग: पावर-ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, रियल-टाइम ट्रेन ट्रैकिंग, आधार जियो-टैगिंग और मोबाइल चिपसेट एकीकरण।

भविष्य की अगली पीढ़ी की तकनीकें (Next-Gen Technologies)

सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (200-टन थ्रस्ट)

LOX-केरोसिन आधारित अधिक शक्तिशाली इंजन जो भारी पेलोड वाले रॉकेटों का स्वदेशी निर्माण सक्षम बनाता है।

LVM3 हेतु सेमी-क्रायोजेनिक स्टेज

LVM3 रॉकेट के तरल चरण को SC120 सेमी-क्रायोजेनिक स्टेज से बदलकर पेलोड क्षमता बढ़ाना (GTO में 5 टन तक)।

अगली पीढ़ी की प्रक्षेपण तकनीकें

VTVL एवं बूस्टर रिकवरी ✓

वर्टिकल टेक-ऑफ व लैंडिंग द्वारा रॉकेट बूस्टरों का पुनः उपयोग (Reusability) और प्रक्षेपण लागत में भारी कमी।

NGLV (नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल)

LOX-मीथेन हरित ईंधन पर आधारित आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य भारी रॉकेट जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का आधार बनेगा।

RLV (पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान)

पंखों वाला अंतरिक्ष यान जो कक्षीय पुनः प्रवेश (Re-entry) के बाद रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करता है।

एयर-ब्रीदिंग प्रोपल्शन (स्कैमजेट)

वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग कर रॉकेट का वजन घटाने और हाइपरसोनिक उड़ान को सक्षम बनाने वाली तकनीक।

प्रमुख चुनौतियाँ

36,000 K.m.

1 पेलोड और प्रक्षेपण क्षमता की सीमा

वर्तमान रॉकेट (LVM3 आदि) की क्षमता अत्यधिक भारी पेलोड व गहन अंतरिक्ष मिशनों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धियों (जैसे SpaceX) की तुलना में सीमित है, जिसके लिए NGLV और सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का विकास आवश्यक है।

2 उच्च पूंजी व वित्तीय जोखिम

अंतरिक्ष क्षेत्र (Deep Tech) में लंबी विकास अवधि (Gestation Period) और उच्च जोखिम के कारण निजी स्टार्ट-अप्स के लिए निरंतर फंडिंग और वेंचर कैपिटल बनाए रखना कठिन है।

3 तीव्र वैश्विक वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा

वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी (~2-3%) बढ़ाने हेतु कम लागत और उच्च आवृत्ति (Launch Frequency) वाले प्रक्षेपण प्रदान करने की कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

4 जटिल तकनीकों के त्वरित परीक्षण की चुनौती

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, गगनयान और चंद्रयान-4 हेतु स्पेस डॉकिंग (SpADEx), VTVL रिकवरी और लाइफ-सपोर्ट सिस्टम जैसी तकनीकों का समयबद्ध व त्रुटिहीन परीक्षण करना एक बड़ा तकनीकी कार्य है।

आगे की राह

01

स्पेस एक्ट व सुधार

स्पष्ट संसदीय 'स्पेस एक्ट' बनाना और IN-SPACE के तहत सिंगल-विंडो क्लियरेंस तेज करना।

02

उन्नत R&D

200-टन सेमी-क्रायोजेनिक इंजन व NGLV का निर्माण करना तथा RLV/VTVL से प्रक्षेपण लागत घटाना।

03

वाणिज्यिक विस्तार

NSIL द्वारा वैश्विक प्रक्षेपणों का विस्तार करना और स्टार्ट-अप्स को दीर्घकालिक VC फंडिंग देना।

04

रणनीतिक मिशन

गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) और चंद्रयान-4 को समय सीमा में पूरा करना।

05

अवसंरचना व कूटनीति

कुलशेखरपट्टिनम केंद्र का निर्माण पूरा करना और NavIC का वैश्विक प्रसार करना।

Q. भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी चुनौतियों को जन्म दे सकती है। कम्पन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए (250 शब्दों)

(PRELIMS UPSC 2026) ✓

भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी संस्थाओं की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IN-SPACE की स्थापना अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है। ✓
2. Agnikul Cosmos ने 3D-प्रिंटेड सेमी-क्रायोजेनिक इंजन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ✓
3. Skyroot Aerospace ने GSLV के लिए लिक्विड प्रोपल्शन तकनीक विकसित की है। ✗
Satellite

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a)
केवल एक

(b)
केवल दो

(c)
सभी तीन

(d)
कोई भी नहीं

महत्वपूर्ण तथ्य

Internal Security
निरासक
(3/5)

YouTube Homework



MoHA

Ministry of Home Affairs
↳ Department

Vijaita Singh
NEW DELHI

In a major counter-terror operation ahead of Independence Day, security agencies dismantled the Pakistan-based Shahzad Bhatti Network, detaining 253 people across 14 States and arresting more than 200 operatives linked to the syndicate backed by the Inter-Services Intelligence (ISI), Union Home Minister Amit Shah said on Monday.

According to a statement issued by the Union Home Ministry, the Shahzad Bhatti Network has been linked to grenade attacks, improvised explo-

sive device (IED) blasts, petrol bomb incidents, and targeted killings in various parts of the country.

Investigators said the syndicate paid local operatives to conduct reconnaissance of police establishments, defence installations, and religious sites, besides installing CCTV cameras to facilitate surveillance.

Lauding the operation against cross-border terrorism, the Union Home Minister said coordinated raids conducted by security forces on August 12 had thwarted plans by the network to carry out subversive activities around Independence Day.

253 people across 14 States were detained, and more than 200 operatives were arrested, he said

The crackdown was carried out through a real-time intelligence-sharing mechanism involving Central agencies and State police forces.

In a post on X, Mr. Shah said the operation, which "ripped apart" the ISI-backed network, reflected the Narendra Modi government's "zero-tolerance" policy towards terrorism.

The Union Home Minister said security forces



launched simultaneous operations against the network across multiple locations in 14 States and recovered IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges, and CCTV cameras allegedly used for

espionage.

The operation resulted in detentions in Uttar Pradesh 62 persons, Haryana, 52, Delhi, 51, Punjab, 44, Rajasthan, 15, Maharashtra, 8, and Uttarakhand, 5. Karnataka, Gujarat, and Bihar accounted for three

each, while two each were held in Telangana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and Kerala.

Fresh FIRs were registered in Delhi and Karnataka, the Union Home Ministry said. The Ministry said that cumulatively, more than 80 FIRs have been registered and over 200 arrests made in connection with the network under provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), the Arms Act, the NDPS Act and the Explosive Substances Act.

INFLUENCER AT THE CENTRE
» PAGE 6

महत्वपूर्ण तथ्य

- आतंकवाद को रोकने और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने नीतिगत, कानूनी, ढांचागत (institutional), और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कड़े कदम उठाए हैं।
- मुख्य पहलों और कार्रवाइयों का विवरण इस प्रकार है:

1. कड़े कानून और नीतियाँ (Legal Framework)

- Unlawful Activities Prevention Act (UAPA):** आतंकवाद विरोधी कानूनों को और सख्त बनाने के लिए UAPA में संशोधन किए गए, जिससे सरकार को किसी संगठन के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से भी किसी आतंकवादी को अधिसूचित (Notify) करने का अधिकार मिला।
- जीरो टॉलरेंस नीति (Zero Tolerance Policy):** सीमा पार आतंकवाद और देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भारत सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है।

2. विशेष एजेंसियों का गठन और सशक्तीकरण (Institutional Strengthening)

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA):** 2008 में मुंबई हमलों के बाद गठित NIA को भारत भर में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने का विशेष अधिकार दिया गया है। हाल के वर्षों में इसके अधिकार क्षेत्र को और बढ़ाया गया है।
- National Intelligence Grid (NATGRID):** खुफिया जानकारियों को एक जगह जुटाने और त्वरित विश्लेषण के लिए NATGRID विकसित किया गया, जो विभिन्न सरकारी डेटाबेस (जैसे बैंक, रेलवे, आवाजन) को आपस में जोड़ता है।
- Multi-Agency Centre (MAC):** केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस के बीच रीयल-टाइम सूचना साझा करने के लिए MAC को और अधिक मजबूत किया गया है।

3. टेरर फंडिंग पर नकेल (Anti-Terror Financing)

- CFT Cell (Countering Financing of Terrorism):** गृह मंत्रालय के तहत टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया।
- जाली नोट और हवाला पर कार्रवाई:** जाली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN) और हवाला नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) और NIA द्वारा बड़े पैमाने पर जब्ती और कार्रवाई की गई है।
- No Money for Terror (NMFT):** भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेरर फंडिंग के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन की मेजबानी भी की है।

4. सीमा सुरक्षा और सर्जिकल स्ट्राइक (Border Security & Direct Action)

- सर्जिकल और एरियल स्ट्राइक:** 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक के जरिए भारत ने सीमा पार मौजूद आतंकवादी ढांचों पर सीधी कार्रवाई की।
- स्मार्ट फेंसिंग और बार्डर इंफ्रास्ट्रक्चर:** सीमाओं पर घुसपैठ रोकने के लिए लेजर बैरियर, थर्मल इमेजर्स और एंटी-ड्रोन तकनीक (C-UAS) का इस्तेमाल शुरू किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य



5. साइबर और डिजिटल स्पेस की सुरक्षा (Cyber & Counter-Radicalization)

- **MHA Cyber Crime Coordination Centre (I4C):** इंटरनेट के जरिए फैलने वाले आतंकवाद, डार्क वेब पर होने वाली फंडिंग और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पर नज़र रखने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई।
- **काउन्टर-रेडिकलाइजेशन अभियान:** युवाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन कट्टरपंथ की ओर जाने से रोकने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर परामर्श और पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

6. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव (Diplomatic Efforts)

- **FATF (Financial Action Task Force):** भारत ने FATF जैसे वैश्विक मंचों पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले देशों और संगठनों को बेनकाब करने में अहम भूमिका निभाई है।
- **संयुक्त राष्ट्र (UN) में आवाज:** भारत काफी समय से **Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT)** को पारित कराने के लिए वैश्विक सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा तय हो सके।

Soren scraps key examinations as student protests rock Jharkhand

On the 24th day of protests, Jharkhand CM announces cancellation of JSSC-CGL exam as well as those held by blacklisted TDPL since 2014; State is to implement reforms to ensure transparency; stir to continue over CBI probe, says student leader

Amit Bhelari
PATNA

Jharkhand Chief Minister Hemant Soren on Monday announced the cancellation of the Jharkhand Staff Selection Commission-Combined Graduate Level (JSSC-CGL) examination, 24 days after students and job aspirants began a protest over alleged irregularities in recruitment exams in the State.

The decision was taken during a four-hour emergency Cabinet meeting.

Mr. Soren also announced that all examinations conducted since 2014 by TSR Data Processing Private Ltd. (TDPL), a blacklisted agency, will be cancelled.

He said a committee will be formed under senior IAS officer Amitabh Kaushal to suggest reforms in the conduct of examinations in the State.

Hundreds of students



Resilient cheers: Protesters celebrate in Ranchi on Monday after the Jharkhand CM's announcement of exam cancellations. ANI

who have gathered at the Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi demanding that the 2025 JSSC-CGL examination be cancelled celebrated the announcement.

However, Ravindra Paswan, leader of the JPSC-JSSC Reform Manch, one of the groups leading the protest, said the agitation would continue as their key demand of a Central Bureau of Investigation (CBI) probe into alleged ir-

said, "Congratulations to all the protesting students, and I also congratulate CM Hemant Soren, who listened to our demands. The most important thing is that the investigation should be conducted meticulously and every corrupt individual involved be apprehended. The masterminds behind these gangs must be caught."

Earlier, addressing the press, Mr. Soren said, "Today, we held a special Cabinet meeting to bring this matter to a conclusion. After considering all aspects, we have decided to cancel all examinations conducted by the TDPL, the results published by the TDPL, and the selection or participation of any candidates through it. All activities undertaken by the TDPL in this regard have also been cancelled. The Cabinet has also decided to cancel the JSSC-CGL exam."

Mr. Soren added that had the previously estab-

lished Standard Operating Procedures (SOPs) been strictly adhered to, such flaws would not have arisen.

He noted that the State government has enacted stringent laws to curb malpractice in examinations and is now set to implement several new reforms in the examination process to ensure complete transparency.

"Investigations by both the SIT [Special Investigation Team] and the CID [Crime Investigation Department of the State police] have revealed several shocking facts. Since the investigation is ongoing, it is not possible to disclose every detail openly... The CID will investigate all examinations conducted from 2014 to the present," Mr. Soren said.

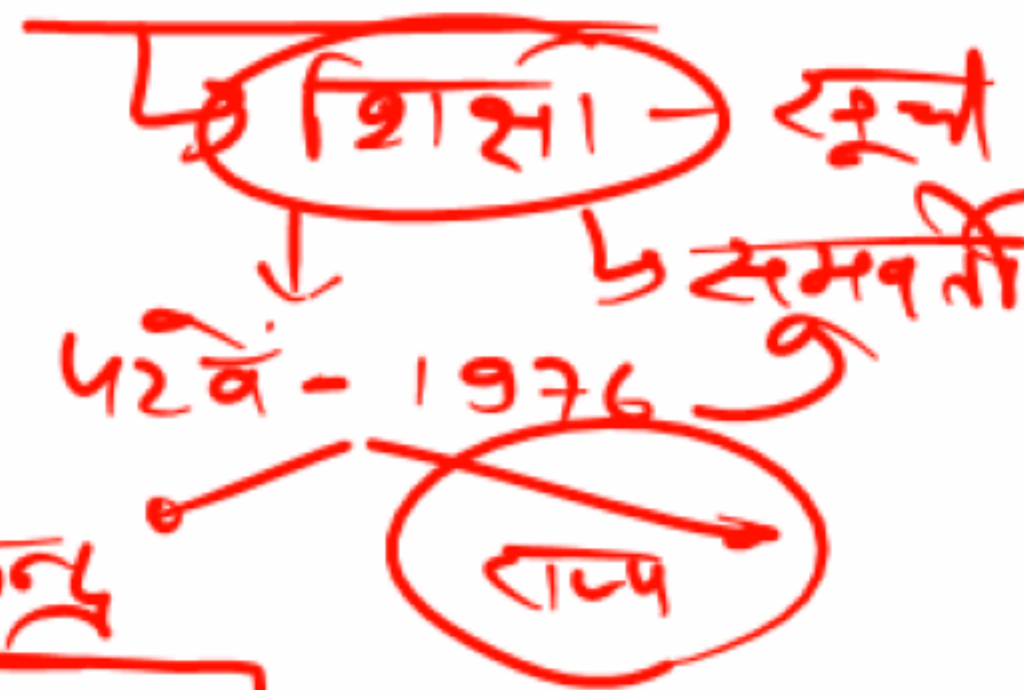
EDITORIAL

» PAGE 8

CONG. TARGETS NTA

» PAGE 5

❖ Education



- NEP-2020
- 2024 - सभा (सभा)
- 2026 - एन सी ई आर
- UGC
- NEA
- NCERT
- राधा कृष्णन 2024
- टाईम मैग्जिन - नेशनल

महत्वपूर्ण तथ्य



❖ Changing Pattern of Pressure Groups

दबाव समूहों की बदलती प्रकृति —
↳ Social Media
↳ आन्दोलन

❖ Role of Social media in Democracy

19(1)(a)(b)(c)
19(2)(3)

❖ Right to protest and Law & Order

❖ Article 19 (1) (a) (b)

प्रत्यक्ष अधिकार

❖ Article 19 (2) (3)

टोक

❖ BNSS Section 163

मजिस्ट्रेट

महत्वपूर्ण तथ्य



SC orders fresh survey, says no State can blockade traditional elephant routes

Court directs Centre to hold a nationwide check and take steps to ensure the free passage of wild elephant herds through their ancient corridors across States, seeks an update in eight weeks

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Supreme Court on Monday directed the Centre to hold a nationwide check and take steps to ensure the free passage of wild elephant herds through their ancient corridors across States without human will or habitations blocking or impeding their natural routes.

"No State can block their [elephants] paths. Blockading elephant corridors is not the solution to human-animal conflicts. Elephants travel across many States. One State cannot come in their way and block their traditional pathways. The solutions to this [animal-human conflict] are altogether different, and not constructing blockades," Chief Justice of India Surya Kant said.

Justice Joymalya Bagchi, on the three-judge Bench with Justice V. Mohana, said elephant pathways were not State-specific, and herds travel far by nature.



A herd of elephants crossing National Highway 17 at Boko on the outskirts of Guwahati, Assam. FILE PHOTO

"Elephant corridors have been obstructed, impeded, blocked due to some local factors. The Union of India must conduct a fresh survey and file a comprehensive report, which would include the necessary steps taken to prevent such obstructions," Chief Justice Kant ordered.

The court directed the Union government to examine allegations that fireballs, *mashaals* (fire-torches) and spikes are thrown at wild elephants. In 2018, the apex court had prohibited

the use of fireballs, burning rods, and spikes to chase elephants and called it "barbaric and illegal".

The court also asked the government to ensure the implementation of the ban of such measures by 'hula' parties to drive away wild elephants from crops and villages. Elephants are Schedule 1 animals under the Wild Life (Protection) Act, 1972. They are considered a vulnerable species which receive absolute legal protection.

Appearing for the

Centre, Additional Solicitor General Aishwarya Bhati agreed to conduct a nationwide survey and submit the status report. Ms. Bhati sought three months, but the court said it would list the case after eight weeks to check on progress.

'No obstacles allowed'

"Construction of any kind of obstacle or creating blockades in elephant corridors is not acceptable. We are very clear that there cannot be obstacles in the way of wildlife. No State can say that just because crops are getting destroyed, they will have to construct obstacles on their path," the Bench reiterated.

Justice Bagchi said the practice of using fireballs and spikes in West Bengal was prevalent because the elephants came from Nepal and through West Bengal they went to Jharkhand and other States. Chief Justice Kant said there were elephants in the Yamunanagar area of Haryana which travel to Uttarakhand and Himachal Pradesh.

YouTube Homework

- ❖ Lion
- ❖ Tiger
- ❖ White Rumped Vulture

Elephant
हाथी

हाथी गलियारा

महत्वपूर्ण तथ्य



- एलिफेंट कॉरिडोर (Elephant Corridors) ऐसे संकरे भूमि के टुकड़े या प्राकृतिक रास्ते होते हैं जो हाथियों के दो बड़े आवासों (Habitats) या जंगलों को आपस में जोड़ते हैं।
- चूंकि हाथी एक जगह टिककर नहीं रहते और भोजन, पानी व प्रजनन के लिए मौसम के अनुसार एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर बड़े झुंडों में पलायन (Migrate) करते हैं, इसलिए ये कॉरिडोर उनके सुरक्षित आवागमन के लिए बेहद जरूरी होते हैं।

1. एलिफेंट कॉरिडोर क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- मानव-हाथी संघर्ष (Human-Elephant Conflict) में कमी: जब कॉरिडोर सुरक्षित रहते हैं, तो हाथी रिहायशी इलाकों या खेतों में नहीं भटकते, जिससे फसलों का नुकसान और जान-माल की हानि कम होती है।
- आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity): कॉरिडोर हाथियों के अलग-अलग झुंडों को आपस में मिलने का मौका देते हैं, जिससे हाथियों की प्रजाति में आनुवंशिक विविधता बनी रहती है और वे बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
- इकोसिस्टम का संतुलन: हाथी जंगल के "इंजीनियर" माने जाते हैं; उनके आने-जाने से बीजों का फैलाव होता है और जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है।

2. भारत में एलिफेंट कॉरिडोर की स्थिति

- कुल कॉरिडोर: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की रिपोर्ट (Elephant Corridors of India) के अनुसार भारत में लगभग 150 से अधिक एलिफेंट कॉरिडोर पहचाने गए हैं।
- प्रमुख क्षेत्र:
 - पूर्वी-मध्य भारत: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ (यहाँ सबसे ज्यादा मानव-हाथी संघर्ष देखा जाता है)।
 - उत्तर-पूर्वी भारत: असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड।
 - दक्षिणी भारत: तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक (पश्चिमी और पूर्वी घाट का संगम क्षेत्र, जहाँ हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है)।
 - उत्तरी भारत: उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश (राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास)।

महत्वपूर्ण तथ्य



3. कॉरिडोर के सामने मुख्य चुनौतियाँ

- **अतिक्रमण और बुनियादी ढांचा (Infra Structure):** रेलवे ट्रैक, सड़कें, खदानें (Mining) और बिजली के तार कॉरिडोर के बीच में आने से हाथियों की दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है।
- **सघन खेती और शहरीकरण:** जंगलों के आसपास खेती और निर्माण कार्य बढ़ने से हाथियों के पारंपरिक रास्ते बंद हो गए हैं।
- **जंगलों का विखंडन (Habitat Fragmentation):** बड़े जंगल अब छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं।

4. संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

- **प्रोजेक्ट एलिफेंट (Project Elephant):** 1992 में शुरू की गई इस केंद्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य हाथियों, उनके आवासों और कॉरिडोर की रक्षा करना है।
- **Right of Passage पहल:** वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) और सरकार मिलकर निजी ज़मीनों को खरीदकर या लीज पर लेकर कॉरिडोर को "संरक्षित भूमि" घोषित कर रहे हैं।
- **इको-फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर:** रेलवे और हाईवे मंत्रालयों के साथ मिलकर कॉरिडोर वाले इलाकों में **Underpass** (अंडरपास) और **Overpass** (ओवरपास) बनाए जा रहे हैं ताकि हाथी सुरक्षित रास्ता पार कर सकें।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल:** रेलवे ट्रैकों पर हाथियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए AI-बेस्ड थर्मल कैमरों और 'गजराज सिस्टम' जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य



- भारत में हाथियों (जो कि भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु / **National Heritage Animal** हैं) के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सरकार ने कानूनी, प्रशासनिक, तकनीकी और जमीनी स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- प्रमुख पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. प्रमुख योजनाएं और नीतियां (Key Schemes & Policies)

- **प्रोजेक्ट एलिफेंट (Project Elephant - 1992):** यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य हाथियों, उनके आवासों और गलियारों (Corridors) की रक्षा करना, मानव-हाथी संघर्ष को कम करना और बंधुआ हाथियों के कल्याण का ध्यान रखना है।
- **एलिफेंट रिजर्व (Elephant Reserves):** प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत देश भर में 30 से अधिक एलिफेंट रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, जो लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हैं।
- **राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा (2010):** हाथियों के संरक्षण की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार ने हाथी को भारत का 'राष्ट्रीय विरासत पशु' घोषित किया।

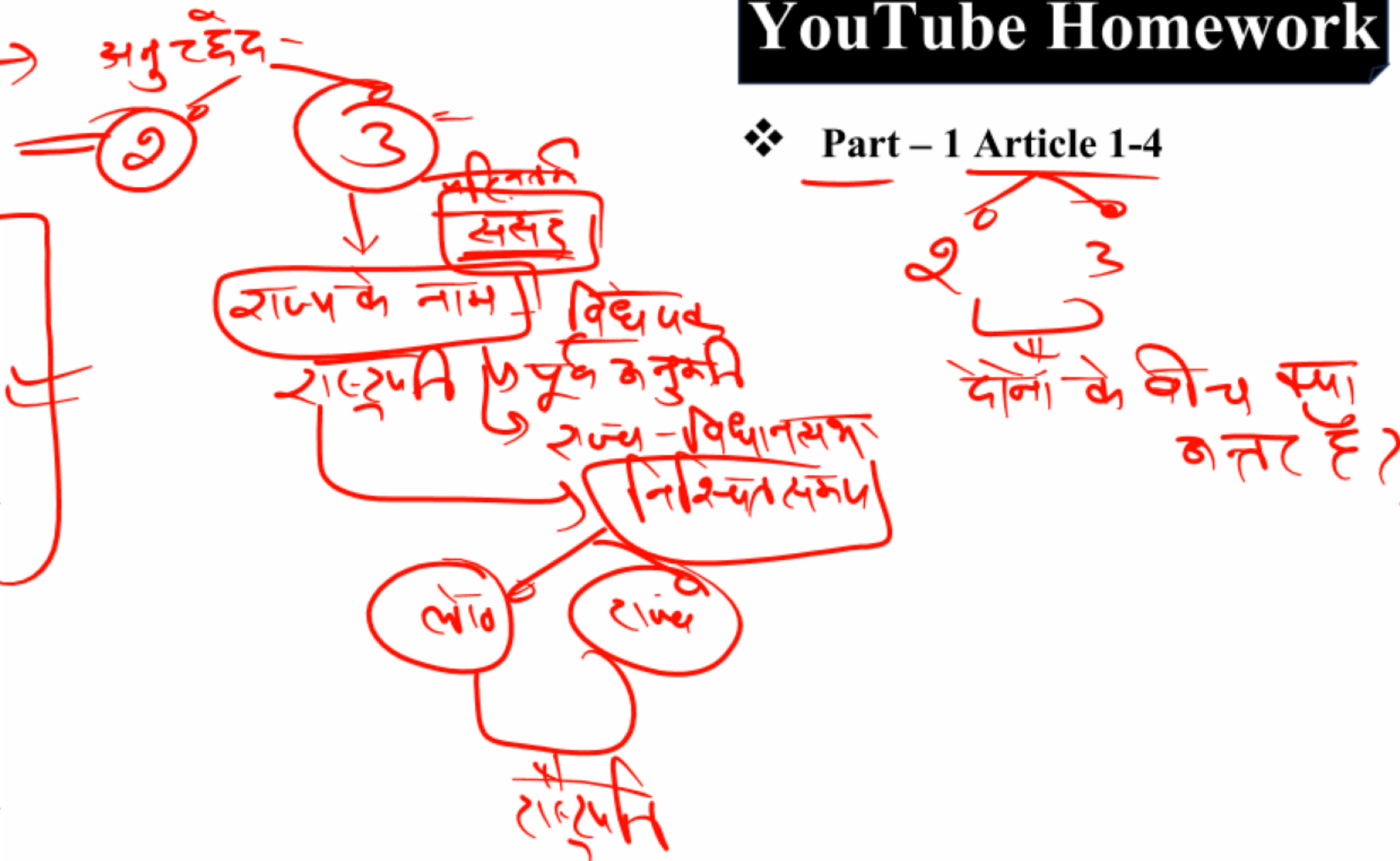
2. कानूनी सुरक्षा (Legal Protection)

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act):** हाथी को इस अधिनियम की अनुसूची I (Schedule I) में रखा गया है। इसके तहत हाथियों के शिकार, व्यापार या उन्हें नुकसान पहुंचाने पर सबसे सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
- **CITES और MIKE प्रोग्राम:** भारत अंतरराष्ट्रीय समझौते CITES का हिस्सा है। इसके अलावा, हाथियों के अवैध शिकार पर नजर रखने के लिए भारत में **MIKE (Monitoring the Illegal Killing of Elephants)** प्रोग्राम के तहत कई साइट्स (जैसे काजीरंगा, देवमाली, पेरियार, मानस आदि) में निगरानी रखी जाती है।

Murmu gives assent to Bill to rename Kerala as Keralam

The Kerala (Alteration of Name) Bill provides for the alteration of the State's name and contains necessary amendments to the Constitution and consequential provisions. Amendments will be made in the First Schedule by modifying the name of Kerala as Keralam in accordance with Article 3.

❖ **Part – 1 Article 1-4**



महत्वपूर्ण तथ्य



राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया

- संसद में विधेयक (Bill) पेश किया जाता है
राज्य का नाम बदलने का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा से राय मांगते हैं
राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को विधेयक भेजकर उसकी राय देने के लिए समय निर्धारित करते हैं।
- राज्य विधानसभा अपनी राय देती है
विधानसभा विधेयक के पक्ष या विपक्ष में राय दे सकती है।
महत्वपूर्ण: विधानसभा की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती।
- संसद विधेयक पारित करती है
लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विधेयक पारित होना जरूरी है।
- राष्ट्रपति की मंजूरी
संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और फिर राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदल जाता है।

अनुच्छेद 3 — राज्यों का गठन एवं क्षेत्र/सीमा/नाम में परिवर्तन

- अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून बनाकर निम्न कार्य कर सकती है:
- किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाना
- दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना
- किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना
- किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना
- किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना
- किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना

महत्वपूर्ण तथ्य

Black money in elections hampers democracy, says SC

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court observed in a judgment on Monday that ridding the electoral process from the influence of black money is a responsibility of the Election Commission of India (ECI). "Black money in the electoral process is one such aspect that compromises democracy, rule of law and the electoral process itself," a judgment authored by Justice Sanjay Karol noted.

The top court called for timely investigations and conclusion of criminal cases relating to recovery of ill-gotten money during the elections.

It said the choice made by the individual is not free if ill-gotten money is involved and rather it is clouded by gratification, monetary or otherwise, or by promises sometimes genuine, other times misleading.

Compromises process

Referring to seizure of cash and assets during the election process, the Bench further said: "The authority affecting the seizure must, within 24 hours, report the same to the District Magistrate/Additional District Magistrate/Court having competent jurisdiction along with written reasons disclosing the prima

The Bench directed High Courts to ensure speedy trial of election-related black money cases

facie nexus between the cash or other asset seized and the suspected electoral offence."

Justice Karol directed that when FIRs are registered, the investigation officer (IO) entrusted with the probe has to make every possible endeavour to complete it within a year.

The order was passed by the Bench on a plea filed by the Karnataka government related to the 2014 Lok Sabha polls, where large-scale black money was seized during elections in Bellary district.

Asking the Election Commission and State governments to file a compliance affidavit by November 18, the Bench directed the IO to submit a quarterly status report regarding the investigation to the electoral body. When Static Surveillance Teams find money in excess of ₹10 lakh during checks, information should be forwarded to the Income Tax authorities, the top court said.

The Bench directed High Courts to ensure speedy trial of election-related black money cases.

YouTube Homework

❖ ECI

भाग-15

क्रु० - 324-329

महत्वपूर्ण तथ्य



Committee/Provision

मुख्य विषय

Goswami Committee, 1990

Electoral Reforms

Vohra Committee, 1993

शक्ति में का कपटाधीन

Criminal–Political Nexus

Indrajit Gupta Committee, 1998

State Funding of Elections

Law Commission 170th Report, 1999

Reform of Electoral Laws

NCRWC, 2001

Constitutional/Electoral Reforms

Second ARC, 2008

Ethics in Governance & Electoral Reforms

RPA Section 29A

Political Party Registration

RPA Section 29B

Political Contributions

RPA Section 29C

Contribution Disclosure

ECI/IEMS

Party financial reporting

Electoral Bonds

Political funding mechanism — struck down in 2024

Currently, affected villagers who were 16 years or older in February 2024 are eligible to receive 100,000 VND (USD 4.2) in compensation, and 15 lakh per acre of acquired land. However, the villagers say, 'We want a forest for our forest, land for our land, water for our water, and a village for our village.'

One of them, Earl Bat, says, "There are because we had in the eyes of the



Rajiv Bhatnagar, superintendent of police, Chhatrapur, said that after one of their leaders, Jatin Bhattacharya, was placed

of the Centre but no such compensation took place. "If our demands had been accepted, why would we have continued protesting?" he asked. He also alleged the houses in some villages were demolished without adequate notice or compensation.

The Chikankarwar Junction Magistrate in April, Fourth January, said most of the demands raised during the agitation had been addressed through the railway

"Town without giving them land or low prices for their livelihood, their houses are being demolished and they are being

❖ River Link Projects in India

3 भारत में अन्य नदी जोड़े
पड़िया जनस

महत्वपूर्ण तथ्य



केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa Link Project - KBLP) को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती बुंदेलखंड क्षेत्र के आदिवासी समुदाय (जैसे गोंड, बैगा, कोल आदि) और स्थानीय लोग कई वजहों से इसका विरोध कर रहे हैं।

प्रमुख कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. बड़े पैमाने पर विस्थापन (Large-Scale Displacement)
2. पन्ना टाइगर रिजर्व और जलमग्न जंगल (Loss of Forests and Tribal Livelihood)
3. पुनर्वास और मुआवजे (R&R) पर अविश्वास
4. 'पेसा' कानून और 'ग्राम सभा' की अनदेखी (Violation of PESA and FRA)
5. जल बंटवारे को लेकर स्थानीय चिंताएँ

- **केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP)** भारत की पहली प्रमुख नदी-जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की **केन नदी** का अतिरिक्त पानी उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त **बुंदेलखंड क्षेत्र** की **बेतवा नदी** में पहुँचाना है।

मुख्य बातें (Key Highlights):

- **मुख्य निर्माण:** MP के छतरपुर में **दौधन बांध** और दोनों नदियों को जोड़ने वाली **221 किमी लंबी नहर**।

फायदे:

- ~10.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का पानी।
- ~62 लाख लोगों को पीने का पानी।
- 103 MW जलविद्युत उत्पादन।

चुनौतियाँ/विरोध:

- पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 6,000 हेक्टेयर जंगल जलमग्न होना।
- 10-12 गाँवों के मुख्य रूप से आदिवासी परिवारों का विस्थापन।

महत्वपूर्ण तथ्य

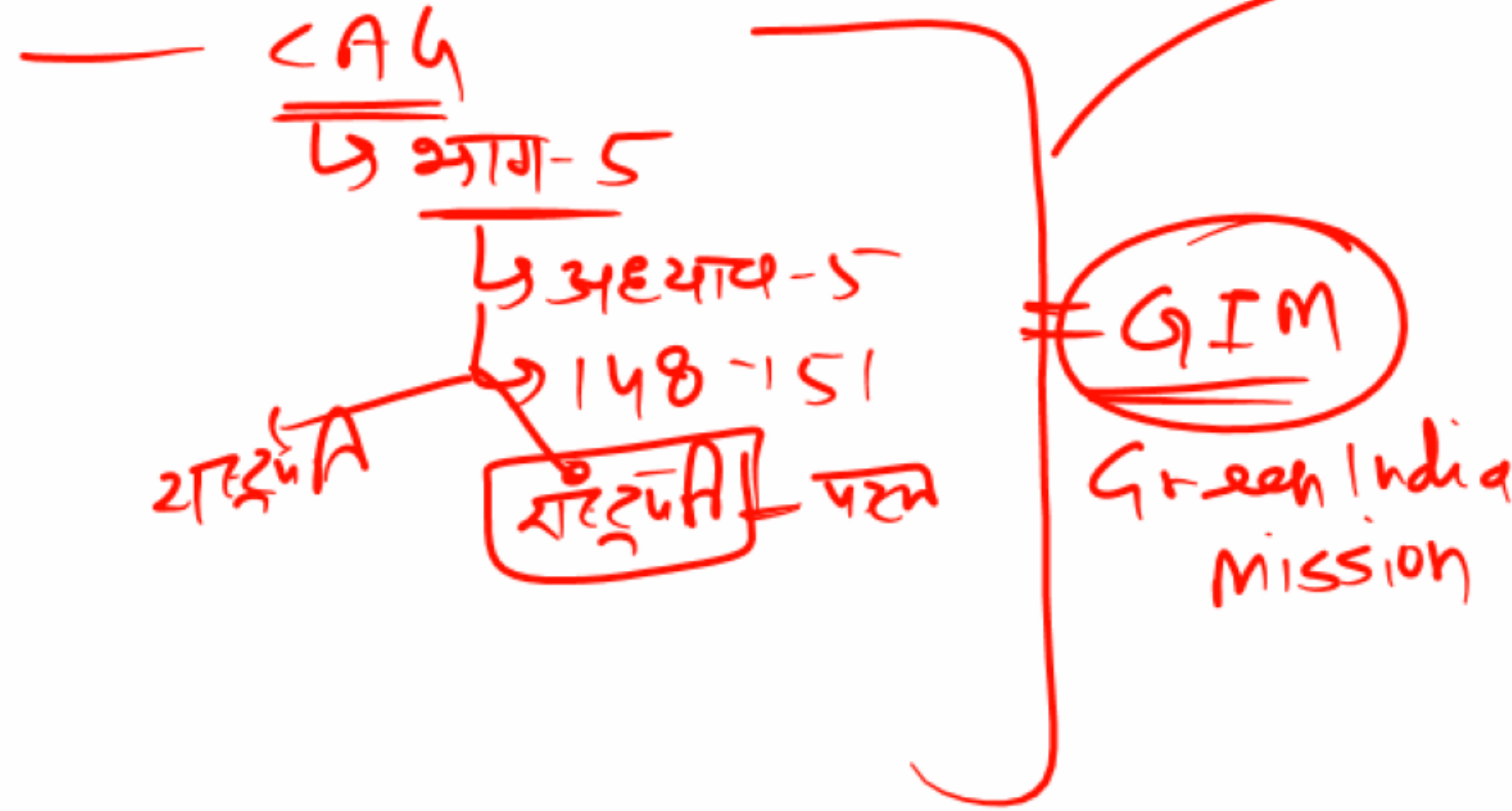


Losing forest for trees

India is counting trees when it should be restoring forests

A performance audit by the Comptroller and Auditor General (CAG) of the Green India Mission (GIM) has found that a scheme conceived to heal India's forests had, across a decade, achieved almost nothing it set out to do. Instead of improving forest quality over 1.4 million hectares, the mission only managed 0.11 million – not even a tenth of the target. On expanding forest cover, the mission barely scraped together four per cent. The Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) channels money collected from industry for diverting forest land into afforestation, while the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, now rebranded as VB-G RAM G funds rural wage labour that can be used for plantation and land-restoration works, but GIM's intended convergence with these schemes never materialised. The mission was one of the eight pillars of the National Action Plan on Climate Change, unveiled in 2008, and the instrument through which India promised the Paris Agreement an additional carbon sink of 2.5 billion to 3 billion tonnes by 2030. Its animating idea was ecological – biodiversity, water, sequestration, and the revival of habitat. GIM however seems to be on the back burner and, for all practical purposes, replaced by a tree plantation drive called 'Ek Ped Maa Ke Naam (A Tree in the Name of Mother)'. Launched in 2024, the government reports planting 140 crore saplings so far, but the latest forest data expose the gulf between a tree and a forest. The India State of Forest Report 2023 records a gain of 1,445 square kilometres in green cover but only 156 sq km of it is true forest. The rest, 1,289 sq km, is 'tree cover outside recorded forests.' Within the recorded forests, dense canopy is thinning into scrub. Ergo, India is planting more and foresting less.

Few examples encapsulate this as much as the controversy over the Aravallis. Arguably the country's most degraded range – its hillocks quarried away, its native growth overrun by the invasive 'vilayati kikar' (*Prosopis juliflora*) – it is now to be rescued by a 'Green Wall' of fresh planting. But these arboreal conscripts cannot undo the damage from years of mining, halt encroachment, or summon back an ecosystem that took millennia to form. Restoration is not landscaping. The CAG's instrument is accountancy: it can count hectares and rupees, not the worth of a living forest; and its assessment cannot always capture the practical challenges of implementing missions. However, its verdict still lands. A mission to restore India's forests has been allowed to wither while the state busies itself counting trees.



महत्वपूर्ण तथ्य



- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (National Mission for a Green India - GIM) पर संसद में अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में मिशन के क्रियान्वयन, बजटीय आवंटन और जमीनी परिणामों को लेकर कई गंभीर कमियाँ उजागर की गई हैं।

- CAG की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. वन आवरण लक्ष्य में भारी विफलता (~98% की कमी)

- लक्ष्य बनाम उपलब्धि: 2015-16 से 2024-25 तक (10 वर्षों में) वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए **1.4 मिलियन हेक्टेयर (Mha)** का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, वास्तविक वृद्धि केवल **0.034 मिलियन हेक्टेयर** (~34,000 हेक्टेयर) ही हो पाई, जो लक्ष्य से लगभग **98% (97.57%) कम** है।
- वन गुणवत्ता में सुधार का अभाव: क्षरित जंगलों की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य भी 1.4 मिलियन हेक्टेयर था, लेकिन इसमें से केवल **0.11 मिलियन हेक्टेयर** में ही सुधार दर्ज किया गया (~92% की कमी)।

2. वित्तीय प्रबंधन और बजट की कमी

- अपर्याप्त फंडिंग (Funding Shortfall):** मिशन के लिए स्वीकृत बजट और आवंटन में बड़ा अंतर देखा गया। फंड की समय पर कमी और भारी कमी के कारण राज्यों में वृक्षारोपण और रखरखाव का काम ठप पड़ गया।
- अभिसरण (Convergence) का विफल होना:** GIM को CAMPA और MGNREGA जैसी अन्य योजनाओं के साथ मिलकर फंडिंग और श्रम जुटाना था, लेकिन CAG के अनुसार यह समन्वय जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो सका। प्रस्तावित ₹10,600 करोड़ का अतिरिक्त फंड इसी समन्वय की कमी के कारण हासिल नहीं किया जा सका।

3. आंकड़ों में हेरफेर और निगरानी तंत्र पर सवाल

- आंकड़ों में फुलाव (Overreporting):** CAG ने पाया कि कई जगहों पर उपलब्धियों को कागजों पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था।
- GIS एनालिसिस में असफलता:** जब कैग ने GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) के जरिए सैंपलिंग की, तो पाया गया कि ऑडिट की गई लगभग **70% जगहों पर कोई उल्लेखनीय हरित आवरण बदलाव नहीं दिखा**।

4. नियोजन (Planning) और निष्पादन में खामियाँ

- माइक्रो-प्लानिंग का अभाव:** राज्यों और वन मंडलों द्वारा समय पर परिदृश्य-आधारित योजनाएं (Perspective/Micro Plans) तैयार नहीं की गईं।
- पौधों की उत्तरजीविता (Survival Rate):** रोपे गए पौधों की सुरक्षा और सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने से बड़े पैमाने पर पौधे सूख गए या नष्ट हो गए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (National Mission for a Green India - GIM) से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और बिंदुवार जानकारियाँ इस प्रकार हैं:

1. कौन सा मंत्रालय चला रहा है? (Which Ministry?)

- मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change - MoEFCC)

2. किस योजना/अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत है? (Under Which Scheme?)

- अंब्रेला फ्रेमवर्क: यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change - NAPCC) के तहत शामिल 8 प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।
- फंडिंग मॉडल: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसमें फंडिंग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बाँटी जाती है (सामान्य राज्यों के लिए 60:40 और पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10)।

3. कब शुरू हुई? (When was it launched?)

- शुरुआत की तारीख: इस मिशन को फरवरी 2014 में भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी।

4. मुख्य प्रावधान और उद्देश्य

- वन आवरण में सुधार (10 Million Hectares Target):
 - 5 मिलियन हेक्टेयर गैर-वन/बंजर ज़मीन पर नया वन क्षेत्र (Forest Cover) बढ़ाना।
 - 5 मिलियन हेक्टेयर क्षरित (Degraded) और कमजोर जंगलों के घनत्व और गुणवत्ता में सुधार करना।
- कार्बन सिंक और उत्सर्जन में कमी:
 - भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2.5 से 3 बिलियन टन SCO_2S के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना।
- समुदाय और आजीविका सुरक्षा (Community-centric Approach):
 - जंगलों पर निर्भर रहने वाले लगभग 30 लाख (3 Million) परिवारों की वन-आधारित आजीविका और आय में सुधार करना।
- निर्णय लेने में स्थानीय सशक्तिकरण:
 - योजना को लागू करने और उसकी निगरानी का अधिकार ग्राम सभा और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) को दिया गया है।
- अंतर-विभागीय अभिसरण (Convergence Mechanism):
 - मिशन के लिए फंड और श्रम को बढ़ाने के लिए इसे मनरेगा (MGNREGA), कैपा (CAMPA), और राष्ट्रीय बांस मिशन जैसी योजनाओं के साथ जोड़कर काम करने का प्रावधान है।

IT Ministry okays ₹7,877-cr. worth projects under ECMS

The projects under the Electronics Component Manufacturing Scheme include several electronic parts that have not been manufactured before in India such as metalised films for capacitors

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) on Monday approved projects collectively worth ₹7,877 crore for incentives under the Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS).

The projects include several electronic parts that have not been manufactured before in India, including electrolyte additives, hermetic terminals (used for defence-grade sealed assemblies), metalised films for capacitors, and coils.

The ECMS has so far approved projects collectively worth ₹69,548 crore, and these will receive turnover- or capex-linked incentives upon achieving key milestones.

IT firm Wipro's lami-



IT Minister Ashwini Vaishnaw and Union MoS Jitin Prasada during handing over of Approvals under ECMS on Monday. ANI

nates project had a ₹1,033 crore increase in project value, which is reflected in the project total shared by the Ministry, leaving ₹6,844 crore in approvals for fresh projects.

IT Minister Ashwini Vaishnaw said that India was "fully atmanirbhar" (autonomous) in approved projects' planned supplies of enclosures for devices, relays (which are being exported also), anode material, and optical transceiv-

ers. Laminates are being produced at 80% of domestic demand, with connectors, lithium ion cells and transducers at 75%, 60%, and 55% domestic production respectively.

"We are yet to reach the employment target [under the scheme], but we will reach that shortly," IT Secretary S. Krishnan said in his remarks. "This is one of the fastest moving programmes of the ministry currently, with a large

number of approvals coming up every week. We have a cadence where almost every week or 10 days we have an approval meeting where we sit down and clear whatever proposals we can bring out."

"We have 10 States of the country which are covered in the applications which are being currently approved," he added.

The tranche approved on Monday includes projects in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Haryana, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu and Telangana. Tamil Nadu had the highest approvals in this tranche, with seven project approvals.

"We expect that these approvals will result in a total output of production of ₹82,243 crore, with an employment of close to 10,000 persons," Mr. Krishnan added.

महत्वपूर्ण तथ्य



- **ECMS (Electronics Component Manufacturing Scheme)**
MeitY की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के कलपुर्जे (Components) बनाने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता (Incentive) देकर देश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है।

मुख्य बातें (Key Highlights):

- **इंसेंटिव (Incentive):**
 - बिक्री (Sales) पर 4% से 8% तक का इंसेंटिव।
 - मशीनरी/प्लांट (Capex) लगाने पर 25% तक की सब्सिडी।
- **क्या-क्या बनता है इसके तहत?:**
 - कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले, पीसीबी (PCB/Motherboard), कैपेसिटर, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स।
- **मुख्य उद्देश्य:**
 - चीन और अन्य देशों से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के आयात (Imports) को कम करना।
 - भारत में स्पेयर पार्ट्स की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) तैयार करना।
 - उच्च-कौशल वाले रोजगार (Jobs) पैदा करना और भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाना।

महत्वपूर्ण तथ्य

India set for record soyoil import on Russia-Ukraine war

Reuters
MUMBAI

India's soyoil imports are set to hit a record high in August as competitive prices prompt refiners to boost purchases for festive demand, while disruptions to sunflower oil shipments due to the Russia-Ukraine war push buyers to switch oils, dealers said.

Soyoil imports in August may rise to 6,20,000 metric tonne, almost 46% above the average monthly import of 4,24,549 tonne so far in the current marketing year which began in November, said four traders involved in trade deals. The traders did not wish to be named in line with company policies.



Women remove weeds from soybean crop in Bhopal, MP.

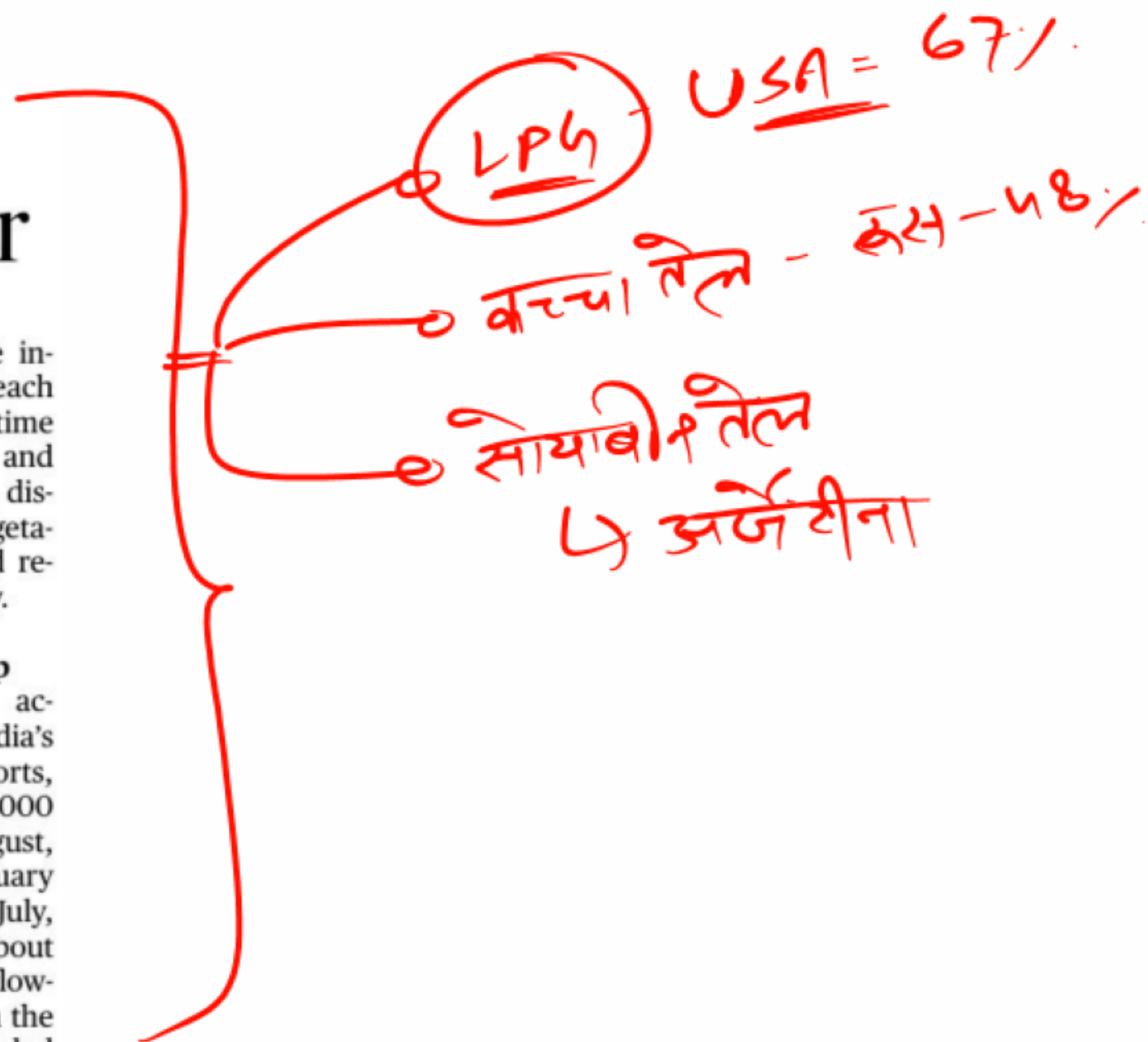
"Soyoil prices are very competitive. At the same time, there are disruptions to sunflower oil shipments. That is making soyoil even more attractive," said Sandeep Bajoria, CEO, Sunvin Group, a Mumbai-based vegetable oil brokerage.

In recent months, Rus-

sia and Ukraine have increasingly targeted each other's port and maritime infrastructure in and around the Black Sea, disrupting grain and vegetable oil shipments and reducing export capacity.

Sunflower oil to drop

Russia and Ukraine account for most of India's sunflower oil imports, which may fall to 1,80,000 metric tonne in August, the lowest since February and down 28% from July, dealers said. About 1,50,000 tonne of sunflower oil originating from the Black Sea and scheduled for shipment in August and September have been delayed because of the conflict, another dealer said.



महत्वपूर्ण तथ्य



- भारत अपनी सोयाबीन तेल (Soybean Oil) की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा आयात (Import) करता है। भारत मुख्य रूप से दो दक्षिण अमेरिकी (South American) देशों से सबसे ज्यादा कच्चा सोयाबीन तेल (Crude Soybean Oil) मंगवाता है:

प्रमुख स्रोत देश (Major Source Countries)

अर्जेंटीना (Argentina):

- भारत के कुल सोयाबीन तेल आयात का सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग 50% से 60%) अर्जेंटीना से आता है।

ब्राजील (Brazil):

- अर्जेंटीना के बाद ब्राजील दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (Supplier) देश है, जहाँ से भारत भारी मात्रा में सोयाबीन तेल खरीदता है।

अन्य द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources)

- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
- पैराग्वे (Paraguay)

Trump orders scaling back of joint military exercises with South Korea

Pentagon chief ordered to 'substantially reduce' the drills as it was too late to cancel them; U.S. President says military drills send 'inappropriate and hostile' signal to North Korea; also claims South Korean President refused to help with Iran war

Agence France-Presse
SEOUL

U.S. President Donald Trump said he ordered the Pentagon to scale back "inappropriate and hostile" military drills with South Korea, hours before the exercises began on Monday.

The U.S. leader cited his "good relationship" with North Korean leader Kim Jong-un in his latest rebuke to long-standing alliances with global partners.

South Korean officials said the exercises had begun as planned and that they hoped the personal chemistry between Mr. Trump and Mr. Kim would bring them back to talks.

Seoul's Presidential office said it remained in "close coordination" with Washington over the exercises.



Standing ready: U.S. soldiers seen near military vehicles at Camp Humphreys in Pyeongtaek, South Korea, on Monday. AFP

The office "hopes that the friendly relationship between the leaders of the United States and North Korea will lead to meaningful dialogue".

North Korea has not responded publicly, although it has previously voiced anger at the regular joint manoeuvres that take place in the South.

The drills began as American allies in East Asia fret over North Korean displays of weapons capabilities and its growing alignment with Russia, as well as traditional backer China.

"Based on my very good relationship with Kim Jong Un, of North Korea, I am not happy with the fact

that the United States has, long ago, agreed to participate in Joint Military Exercises with South Korea," Mr. Trump wrote on his Truth Social platform.

"These exercises are not only costly, with much of these costs paid for by the United States of America (as usual!), but send a signal that is totally inappropriate and hostile, to a Country that, as long as Donald J. Trump has been President, has been unthreatening and respectful," he said.

He took direct aim at South Korea, writing: "I recently asked the President of South Korea if they would like to join us in the Denuclearisation of the Islamic Republic of Iran, and they said, 'No thanks!'"

Mr. Trump said he had ordered Defence Secretary Pete Hegseth to "substan-

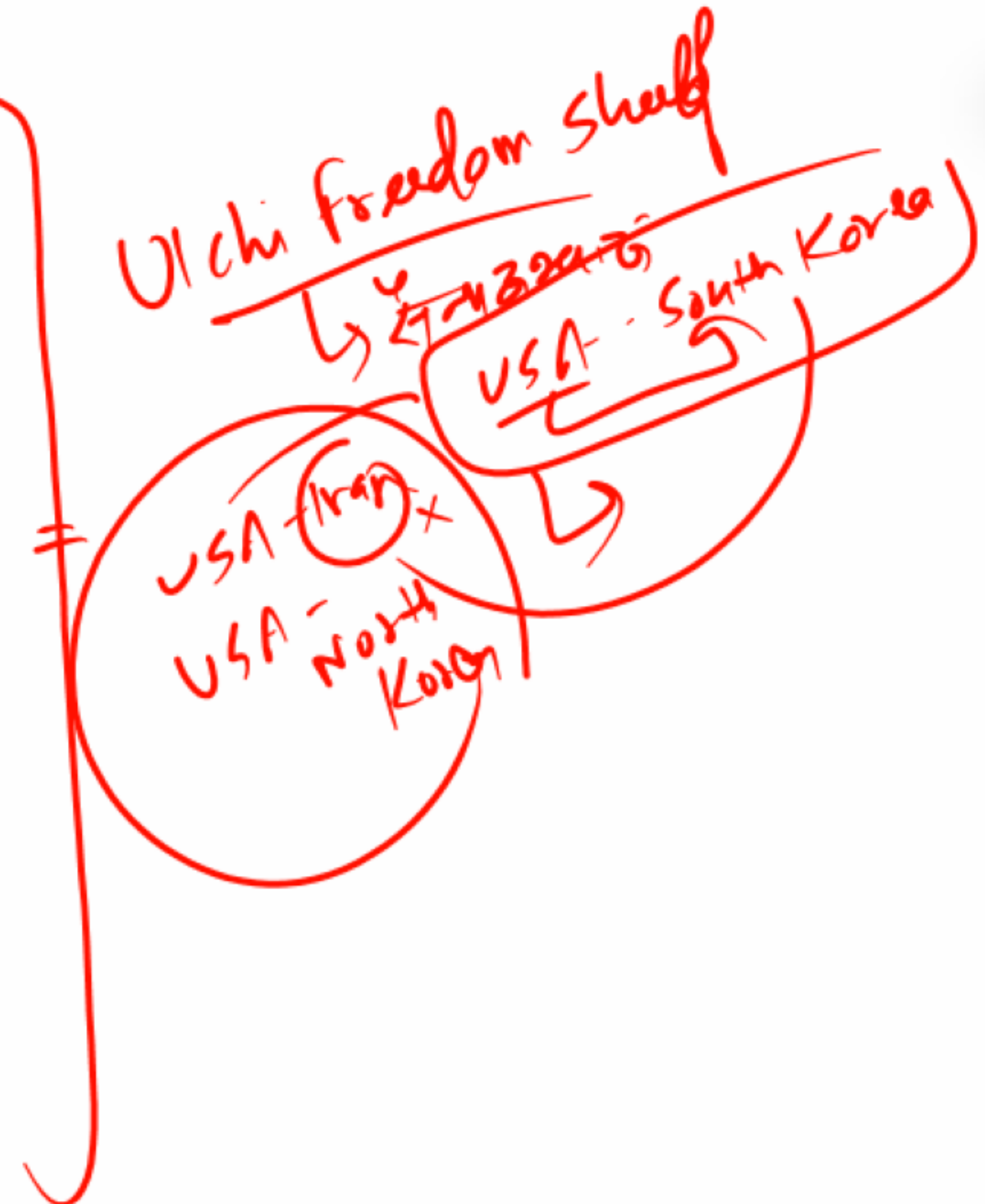
tially reduce" the drills because it was too late to cancel them.

'Inane decision'

Meanwhile, Jack Reed, the top U.S. Senate Democrat on military affairs, described Mr. Trump's order as "inane", and said China and Russia were "watching how easily this President abandons America's allies".

"This is another inane, haphazard decision by President Trump and his chaotic administration," the Senate Armed Services Committee ranking member said in a statement.

The 11-day Ulchi Freedom Shield exercises are designed to prepare for a possible war with North Korea. Pyongyang, however, decries the drills as dress rehearsals for an invasion.



महत्वपूर्ण तथ्य



रक्षा मंत्रालय



भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मैत्री' में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड रवाना

प्रविष्टि तिथि: 17 AUG 2026 10:59AM by PIB Delhi

भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मैत्री' के 15वें संस्करण (2026) में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी आज थाईलैंड रवाना हुई। यह अभ्यास 18 से 31 अगस्त 2026 तक थाईलैंड के सूरत थानी स्थित विभावादी रंगसिट कैंप में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2025 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था।

भारतीय सेना और थाई शाही सेना की टुकड़ियों में 85-85 जवान शामिल हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी में मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स के सैनिक हैं जबकि थाई सेना की टुकड़ी में 5वीं डिवीजन की 25वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की तीसरी बटालियन के जवान शामिल हैं। इस अभ्यास में कंपनी स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण शामिल होगा जो जंगल और अर्ध-शहरी इलाकों में संचालन पर केंद्रित होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मंगोलिया के उलानबातर में आयोजित यूएनसीसीडी कॉप-17 में भारत ने घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम पर पहली बार एक मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने वनों के साथ-साथ खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के विज्ञान-आधारित संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया

श्री भूपेंद्र यादव ने कहा:- स्वस्थ घास के मैदान जैव विविधता, आजीविका और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए आवश्यक हैं

प्रविष्टि तिथि: 17 AUG 2026 6:17PM by PIB Delhi

भारत ने 17 अगस्त 2026 को उलानबातर (मंगोलिया) में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के पक्षकारों के सम्मेलन (कॉप-17) के 17वें सत्र में भारत के घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम (ओएनईएस) के लिए अपनी पहली मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया। यह दस्तावेज़ भारत के घास के मैदानों, सवाना, मरुस्थलों और अन्य खुले प्राकृतिक इको-सिस्टम की समृद्ध विविधता, पारिस्थितिक महत्व और सामाजिक-आर्थिक महत्व को उजागर करता है। यह इनके संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Overview

- Space
- Terrorism
- Student Protest
- Elephant corridor
- Keral
- Black Money
- Ken-Betwa Link Project
- Green India mission
- ECMS
- Soyabeen Oil
- USA-South Korea
- India-Thailand
- COP-17

Thank You

Result Mitra

UNCCD-COP-17